राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 29/2025
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2025/61
दायर दिनांक– 28.05.2025
निर्णय दिनांक– 18.03.2026
सनवानी–

1. रामगोपाल पुत्र हरनाथ
2. रामेश्वर पुत्र दाना
   सर्वजाति रेगर नि0 ग्राम रूपनगढ़ तह0 रूपनगढ़

.....वादीगण

बनाम

1. कविता पुत्री नेमीचन्द पत्नि पवन कुमार नि0 मकराना चौराहा, किशनगढ़
2. रजनी पत्नि बंशीधर पुत्री नेमीचन्द नि0 उदयपुरिया तह0 दूदू जिला जयपुर
3. गीता पुत्री नेमीचन्द पत्नि नन्दलाल जाति रेगर नि0 उदयपुरिया नानण तह0 दूदू जिला जयपुर
4. पूजा पुत्री नेमीचन्द पत्नि रामकुंवार जाति रेगर नि0 अराई जिला अजमेर
5. चमन प्रकाश पुत्र श्रीकिशन
6. प्रेमचन्द पुत्र विजयकरण
7. मन्नी देवी पत्नि नेमीचन्द
8. मांगीलाल पुत्र विजयकरण
9. रामचन्द्र पुत्र विजयकरण
10. नाबा0 विशाल पुत्र पिंटू जरिये संरक्षक मन्नी देवी
    प्रतिवादी संख्या 5 से 0 सर्वजाति रेगर नि0 रूपनगढ़
11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:1. श्री दशरथ वैष्णव अधि0 वादी
2 श्री विमल किशोर अधि0 प्रति0 संख्या 7, 10

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजीयात ख0न0 4606/3440 रकबा 0.4789 हैक्ट0 में वादी व प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड में हिस्सा अनुसार भूमि दर्ज है। उक्त भूमि ग्राम रूपनगढ़ में स्थित है। वादीगण व प्रतिवादीगण जमाबंदी अनुसार मनबट से बांटकर अपने अपने हिस्से पर काविज होकर काश्त कर रहे है। वादीगण उक्त विवादित भूमि पर अपने हिस्से अनुसार वंटवारा कर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि में विकास कार्य करवाकर उपजाऊ बनाया है। वादीगण के हिस्से की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

जमीन से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है लेकिन उक्त भूमि का तकारामा नहीं हो रखा है इस कारण प्रतिवादीगण की नियत में दुर्भावना पूर्वक नियत में फितुर है इसलिये आये दिन प्रतिवादीगण वाहमी बंटवारे को मनमर्जी से नहीं मानकर वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच मेड़, सींव, डोल, बुआई, काश्त व वाहमी बंटवारे को लेकर झगड़ा फसाद करते रहते है। प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण को हैरान व परेशान करते है तथा उनके हिस्से की उपजाऊ की हुई आराजी में काश्त करने में मजाहमत करते रहते है एवं वादीगण के द्वारा जब भी अपने हिस्से में फसल की बुआई की जाती है तब प्रतिवादीगण द्वारा बोई हुई अपने हिस्से की उगी हुई फसल को या खड़ी फसल को तहस–नहस कर नष्ट कर देते है। प्रतिवादीगण बिना तकासमा कराये उक्त भूमि को अन्य व्यक्तियों को बेचान करने पर उतारू है। वादी की ओर से निवेदन है कि कब्जेनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड के अनुसार तकासमा फरमाया जाकर लगान की फेटबंदी की जाकर खाते अल्हदा किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 5, 6, 8 व 9 ने उपस्थित होकर दावे के मुताबिक बंटवारा हेतु सहमति प्रदान की। प्रतिवादी संख्या 7 व 10 की ओर से वकील श्री विमल किशोर तिवाडी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 से 6, 8, 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 7 व 10 की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। जवाब सरकार प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब दावा पेश नही होने से तनकीयात कायम नहीं की गयी। प्रकरण बंटवारा संबंधी होने से वादी साक्ष्य पेश करने से इनकार करने पर वादी साक्ष्य बंद किया गया। वकील वादी की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका विभाजन किया जाना आवश्यक है। अतः वाद को स्वीकार कर बंटवारा किये जाने के आदेश फरमावें। तदनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश दिये गये। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया गया। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार रूपनगढ़ से कमिश्नरी रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) प्राप्त हुआ। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव स्वीकारा एवं विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से वकील श्री विमल किशोर तिवाड़ी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 पेश किया जिस पर उभयपक्ष को सुना गया। चूंकि प्रकरण में प्राथमिक डिक्री के आदेश जारी किये जा चुके है। इसलिये इस स्तर पर प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। साथ ही प्रकरण खातेदारी भूमि के विभाजन का है, जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के हिस्से को सुरक्षित रखा जाकर तरमीम किया जाना है। इसलिये न्यायिक भावना को देखते हुये प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 खारिज किया जाता है। प्रकरण में वकील प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पेश किया गया, जिसको सुना जाकर खारिज किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष बहस पर मनन किया। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव बाद अंतिम डिक्री किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 के मध्य मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के हिस्से में भूमि निम्नानुसार होगी –

क्र० सं०	ग्राम रूपनगढ़– खसरा संख्या 4606/3440 रकबा 0.4709 है० नाम खातेदार	ख0 न0	रकबा (है०)	किस्म
1	रामगोपाल पुत्र हरनाथ हि0 पूर्ण जाति रेगर सा0 देह खातेदार	4606/3440/1	0.1597	चाही 2
2	चमनप्रकाश पुत्र श्रीकिशन हि0 532/2656, प्रेमचन्द, मांगीलाल, रामचन्द्र पि0 विजयकरण हि0 बराबर प्रत्येक का 531/2656, रामेश्वर पुत्र दाना हि0 531/2656 सर्व जाति रेगर सर्व सा0 देह खातेदार	4606/3440/3	0.2656	चाही 2
3	कविता, गीता, पूजा, रजनी पि0 नेमीचन्द हि0 बराबर प्रत्येक का 46/536, मन्नी देवी पत्नि नेमीचन्द हि0 46/536, नाबा0 विशाल मौर्य पुत्र पिंटू संरक्षक मन्नी देवी हि0 153/536 सर्वजाति रेगर सर्व सा0 देह खातेदार रजनी पत्नि बंशीधर हि0 153/536 जाति रेगर सा0 उदयपुरिया तह0 दूदू खातेदार	4606/3440/2	0.0536	चाही 2

विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस इस अंतिम डिक्री का भाग होगा। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन बैंक पक्षकारान के नाम यथावत रखा जाकर उपरोक्तानुसार उनका खाता व लगान अलग–अलग कायम किया जाकर कृषि भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। प्रकरण में खर्चा वाद उभयपक्ष अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)